UPSI180053002022
न्ययलय Civil Judge Junior Division/J.M. Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Sushri Akshita Singh) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा - UP03730**
परिवाद सं - Warrant or Summons Criminal Case/3963/2022
Jay Singh Vs. Dinesh Kumar

दिनांक–21.01.2023

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते निस्तारण/आदेश नियत है।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा विपक्षी दिनेश कुमार के विरूद्ध परिवाद अर्न्तगत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम थाना महमूदाबाद जिला सीतापुर, प्रस्तुत किया गया है। परिवादी जय सिंह की ओर से धारा 145 एन0आई0 एक्ट के अर्न्तगत स्वंय का साक्ष्य शपथ–पत्र दाखिल किया गया है तथा अभिलेखीय प्रपत्रों में सूची से मूल चेक सं0–000019 दिनांकित 25.10.2022 धनराशि–7,50,000 (सात लाख पचास हजार) रूपये, मूल बैंक रिटर्न मेमो दिनांकित 04.11.2022, पंजीकृत नोटिस दिनांकित 17.11.2022 की प्रति व पंजीकृत डाक रसीद दिनांकित 17.11.2022 एवं डिलिवरी रसीद, नकल आदेश दिनांकित 19.12.2022 एवं प्रार्थना पत्र 142 एन0आई0एक्ट मय शपथ–पत्र दाखिल किया गया है। बैंक रिटर्न मेमो रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत **चेक सं0–000019 "Funds insufficient"** के कारण अनादृत हुआ है। विपक्षी को प्रेषित नोटिस अन्दर मियाद है तथा प्रथम दृष्टया तामीला अवधारित किये जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि परिवादी द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में परिवाद सं0–3838/2022 जय सिंह बनाम दिनेश कुमार प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा डिलिवरी कनफर्म होने की तिथि के बाद नियत मियाद 15 दिन के पूर्व ही योजित किया जाना पाते हुए दिनांक–19.12.2022 को निरस्त कर दिया गया था जिसके उपरान्त नियत समयावधि के अर्न्तगत यह परिवाद दिनांक 22.12.2022 को प्रस्तुत किया गया है। अतः परिवादी की ओर से इस स्तर पर पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये समस्त साक्ष्य के आधार पर विपक्षी दिनेश कुमार को अर्न्तगत धारा 138 एन0आई0 एक्ट में विचारण हेतु तलब करने के आधार प्रथम दृष्टया पर्याप्त हैं।

आदेश

विपक्षी/अभियुक्त दिनेश कुमार पुत्र वंशीधर निवासी हल्लापुरवा म0 माधवपुर पो0 तिन्दोंला तहसील नवाबगंज जिला बाराबंकी को धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अर्न्तगत विचारण हेतु जरिये सम्मन तलब किया जाता है। इस हेतु पैरवी उभय प्रकार से की जाय। उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि–7,50,000 (सात लाख पचास हजार) रूपये है। प्रकरण के दृष्टिगत उचित होगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था मे0 मीटर्स एण्ड इन्स्ट्रूमेंट्स प्रा0 लि0 व अन्य बनाम कचंन मेहता में दिये गये निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0एल0 नं0–9949/एडमिन जी–II दिनांकित 13.07.2018 के अनुक्रम में सम्मन में उपरोक्त चेक में वर्णित धनराशि–7,50,000 (सात लाख पचास हजार) रूपया अंकित करते हुए विपक्षी को इस आशय से प्रेषित हो कि यदि विपक्षी/अभियुक्त चाहे तो परिवादी के खाते में उक्त समस्त धनराशि जमा कर उसकी सूचना न्यायालय को दे। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त दिनांक–20.02.2023 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद, सीतापुर।
J.O. Code- UP3730

अजय/स्टेनो–

Digitally signed by Akshita Singh
Date: 2023.01.21 18:00:30 IST
Reason: Order
Location: Civil Judge J.D./J.M. Mahmudabad, Sitapur.